भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
31.07.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1428 का उत्तर

एर्नाकुलम जंक्शन-कोल्लम-वेलानकन्नी रेलगाड़ी की द्‌वि-साप्ताहिक रेल सेवा

1428. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का एर्नाकुलम जंक्शन-कोल्लम-वेलानकन्नी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की द्‌वि-साप्ताहिक रेल को दैनिक सेवा में बदलने का प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को राज्य सरकार और यात्री संघों से इसके लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और
(घ) यदि हां, तो इस संबंध मे कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्‌योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): एर्णाकुलम-कोल्लम-वेलनकन्नी क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए, 25.09.2023 से शुरू की गई 16361/16362 एर्णाकुलम-वेलनकन्नी एक्सप्रेस को सप्ताह में दो बार चलाया जा रहा है। 16361/16362 एर्नाकुलम-वेलानकन्नी एक्सप्रेस के फेरे को सप्ताह में दो बार से बढ़ाकर प्रतिदिन करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। रेलगाड़ियों के फेरे में वृद्‌धि करना भारतीय रेल में यातायात औचित्य, परिचालन व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता आदि के अध्यधीन एक सतत् प्रक्रिया है।

******

s.k